

Stamp Duty Rs.9477,97/-, Panchayatkar Rs 1345,00/-, Upkar Rs. 473.89/-, Add.Tex Rs.4.14/-Total Rs. 11310/-

स्टाम्प शुक्क स्तः 9477.97/- पंचायत कर रू० 1354.00/- उपकर रू० 473.89/- अन्य कर रू० 4.14/- कुल रू० 11310/-

This Sale deed is made at Janigir on this 16 day of September 2008 and executed by and: यह विकयपत्र आज स्थान जांजगीर दिनांक 16 माह सितम्बर 2008 को निम्न पक्षकारों के द्वारा एवं उनके मध्य निष्पादित किया गया :--

### <u>Between</u>

Mr. Phuldas aged about 80 year, S/o Lt. Sri Sunderdas Caste Panika, R/o Amora Thahsil Akaltara, Distt. Janjgir-Champa (C.G.) (hereinafter referred to as VENDORS/FIRST PARTY the term which unless repugnant to the context herein shall include all his heirs, successors, assignees, legal representatives etc) of the FIRST PART

श्री पुलदास उम्र लगभग 80 वर्ष, पिता स्व0 श्री सुन्दरदास, जाति पनिका निवासी अमीरा तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर—चांपा छ0ग0 (जिन्हें इस विकय पत्र में आगे विकेता/पक्ष एक के रूप में संम्बीधित किया जावेगा, जो ऐसी शर्तों के बिना प्रतिवाद के विरुध उपबंधित है, जिसके अन्तर्गत उसके वारिस उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, वैद्यानिक प्रतिनिधी इत्यादि भी सम्मिलित होगें) जो प्रथम माग है:—

### AND


M/s. Wardha Power Company Private Limited a company duly registered under the Companies Act, 1956, having its registered office at \$-2-293/82/A/431/A, Road No.22 Jubilee Hills, Hyderabad – 500 033, Pan No. AAACW6197R represented by its Authorized Signatory, Sri R.Suresh Mohan aged 54 years, S/o Sri A.G.R.Rao, (hereinafter referred to as VENDEE/SECOND PARTY, the term which unless repugnant to the context herein shall include all its successors, heirs, administrators, assignees, representatives etc) of the SECOND PART

मेसर्स वर्धा पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है, पंजीकृत कार्यालय 8-2-293/82/A/431/A, रोड नम्बर 22, जूबली हिल्स, हैदराबाद 500-033, Pan No. AAACW6197R प्रतिनिधित्व द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री आर0 सुरेश मोहन उम्र 54 वर्ष पिता श्री ए०जी०आर०राव, (जिन्हे इस विकय पत्र में आगे केता/पक्ष दो के रूप में सम्बोधित किया जावेगा, जो ऐसी शर्तों के बिना प्रतिवाद के विरूध उपबंधित है, जिसके अन्तर्गत उत्तराधिकारी, वारिस, प्रबंधक, समनुदेशिती, वैधानिक प्रतिनिधी इत्यादि भी सम्मिलित होगें) जो द्वितीय भाग है:—

WHEREAS the First Party is the absolute owner and possessor of the agricultural land admeasuring Acre/Hectare. 0.48/0.194 in Survey/ Khasra No. 1327/1, situated at Amora Village, Akaltara Tahsil, Janjgir-Champa District, in Chhattisgam State, more fully described in the Schedule mentioned hereunder and hereinafter referred to as SCHEDULE PROPERTY, the better details of which are shown at the end of this sale deed, having inherited the same through his father/grand father as ancestral property vide Patta pass book / Rin pustika/Kisan Patra, bearing No. G-515995 The First Party has in continuous possession and enjoyment of the Schedule property as lawful owner and thus has all marketable and transferable rights.

यह कि पक्ष एक के भूमि स्वामी हक एवं आधिपत्य में ग्राम अमोरा तहसील अकलतरा क्रिला जांजगीर वांपा छ०ग० में कृषि भूमि खसरा न० 1527/1 रकबा 0.48/0.194 एकड्/हेक्टेयर जिसका पूर्ण विवरण





इस ।वक्रथपत्र क अन्त में उल्लेखित अनुसूची में दिया गया है, जिसे इस विक्रय पत्र में आगे अनुसूचित भूमि संम्बोधित किया जावेगा, जो पक्ष एक की पैतृक सम्पत्ति है, जिसे इस विक्रय पत्र में आगे अनुसूचित भूमि संम्बोधित किया जावेगा, जो पक्ष एक की पैतृक सम्पत्ति है, जिसे पक्ष एक ने अपने पिता/पितामह से प्राप्त किया है, तथा जो पक्ष एक के ऋण पुस्तिका/ किसान पत्र/ पट्टा क्मांक G-515995 में दर्ज है, तथा उक्त अनुसूचित भूमि को प्राप्त दिनांक से पक्ष एक वैधानिक रूप से कब्जा प्राप्त कर बतौर स्वामी उपनोग करते चला आ रहा है, तथा पक्ष एक को उक्त अनुसूचित भूमि का विक्रय एवं हस्तान्तरण का अधिकार प्राप्त है।

WHEREAS the Second Party is in need of land for the requirements of its power project in and around the village Nariyara of Janigir-Champa District, in Chhatisgarh State and approached the First Party for purchase of the schedule property.

यह कि द्वितीय पक्ष को अपने पावर प्रोजेक्ट के लिए ग्राम नरियरा जिला जांजगीर —चापा छ०ग० और आसपास की मूर्मि की आवश्यकता है, तथा पक्ष दो भूमि प्राप्त करना चाहता है, इसलिये पक्ष दो श्री लक्ष्मी प्रसाद से अनुसूचित भूमि क्रय करने के लिये सम्पर्क किया।

WHEREAS the First Party has agreed to sell Schedule Property at the rate of Rs. 280000/- per Acre which comes to a total consideration of Rs. 124800/- (Rupees One Lac Twenty Four Thousand Eight Hundred only) and all the terms and conditions which are agreed between the parties are as set-forth hereinafter.

यह कि चूंकि पक्ष एक अपनी अनुसूचित भूमि को 280000/- रूपये प्रति एकड़ की दर से विकय करने को सहमत है, अतः अनुसूचित भूमि को कुल 124800/- रूपये (कुल एक लाख चौबीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) में पक्षकारों के मध्य सहमत समस्त नियम एवं शर्ता, जो आगे उल्लेखित है, के अधीन विकय कर दिया।

# NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS: यह विकय पत्र निम्न प्रमाण स्वरूप निष्पादित किया जा रहा :-

28119 - gere 124

01. THAT out of the total sale consideration of Rs. 124800/- (Rupees One Lac Twenty Four Thousand Eight Hundred only) the Second Party has already paid Rs. 24800/- (Rupees Twenty Four Thousand Eight Hundred only) to the First Party towards part sale consideration on 13.09.2008, the receipt of which is acknowledged herewith by the First Party.

01. यह कि विकय की समस्त राशि 124800/- रूपये, ( एक लाख चौबीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) में से रूपये 24800/- (चौबीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) पक्ष दो द्वारा विकय राशि के भाग के रूप में पक्ष एक को दिनांक 13.09.2008 को अदा कर पावती जो अगिस्वीकृति है, प्राप्त कर लिया गया है।

O2. THAT the balance sale consideration of Rs. 100000/- (Rupess One Lac only) is hereby paid today 16.09.2008, by the Second Party to the First Party through cheque No. 846109 dated 16.09.2008 drawn on State Bank Of India, payable at Akaltara, towards full and final payment of sale consideration of Rs. 124800/- (Rupess One Lac Twenty Four Thousand Eight Hundred only), the receipt of which is hereby acknowledged in writing by the First Party, which are shown at the end of this sale deed, as such the Seller shall not have/make any further claim regarding sale price /sale consideration agreed upon herein, for enhancement or additional payment (of sale consideration) or additional benefits under the pretext of policy/guidelines of the State Government, existing or that may be modified from time to time.

02. यह कि शेष विकय राशि 100000/- रूपये (एक लाख रूपये मात्र) आज दिनांक 16.09.2008 को चैक कमांक 846109 दिनांक 16.09.2008, भारतीय स्टेट बैंक अकलतरा के माध्यम से पूरा एवं अंतिम भुगतान समस्त विकय राशि 124800/- रूपये (एक लाख चौबींस हजार आठ सौ रूपये मात्र) के रूप में पक्ष एक को पक्ष दो की ओर से अदा कर पावती अभिस्तीकृति के रूप में प्राप्त कर लिया जो इस विकय पत्र के अन्त में उल्लेखित है, अब प्रथम पक्ष कोई दावा भविष्य में विकय राशि/अतिरिक्त राशि/क्षतिपूर्ति/कोई प्रलोमन या राज्य शासन के किसी नियम वा योजना या संशोधन जो समय समय पर प्रमावी हो, के अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

03. THAT the parties of the First Part have today delivered vacant possession of the property to the Second Party and the Second Party shall enjoy the Schedule Property as

For weather Swall white the second

complete owner with full rights, right of way, subsoil, mining, easements appurtenant thereto, etc without any claim by the First party or any body claiming through him.

03. यह कि प्रथम भाग के पक्षकार आज अनुसूचित सम्पत्ति का रिक्त कब्जा द्वितीय पक्ष को सौप दिये, अब पक्ष दो उक्त सम्पत्ति का पूरा स्वस्व समस्त अधिकार से प्राप्त कर लिया और पक्ष दो सम्पत्ति के नीचे खनन का सुखाधिकार, सम्पत्ति के नजदीक एवं उपर के समस्त अधिकार आदि उपयोग पक्ष एक या अन्य किसी ब्यक्ति के बिना किसी दावा के करेगा।

04. THAT the First Party hereby assures the Second Party that from the date of this sale deed, the Schedule Property is free from any obligation, charge, pledge, mortgage or any other encumbrance of whatsoever nature and nobody else except the Second Party has any right, title or interest of any kind whatsoever over the Schedule Property.

04. यह कि पक्ष एक पक्ष दो को यह विश्वास दिलाता है, कि विक्रयपत्र के निष्पादन दिनांक से इसमें उल्लेखित अनुसूचित सम्पत्ति समस्त भार, देय, कर्ज, रहन इत्यादि से मुक्त है, तथा बिकेता के अलावा अन्य किसी ब्यक्ति का कोई दावा अधिकार स्वत्व या हित किसी प्रकार का अनुसूचित सम्पत्ति पर नहीं है।

05. THAT the Parties of the First Part covenants with the Second Party that the Schedule Property be held and enjoyed without any interruption, disturbance, claim or demands whatsoever from the First Part or from his/ their heirs, successors, representatives, assignees or from any other third parties.

05. यह कि प्रथम भाग के पहाकार, द्वितीय पक्ष को यह वचन देता है कि, अनुसूचित सम्पत्ति को वह प्रथम भाग या उसके वारिस, उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधी इत्यादि या अन्य किसी ब्यक्ति के बिना किसी

बाधा, विवाद, दावा या मांग के उपभोग कर सकता है।

- 06. THAT the First Party shall at the cost of the Second Party take all necessary steps and sign all applications, papers and/or further documents for transferring the Schedule Property to the Second Party in the records of any local authority and for getting the name of the Second Party mutated in the Revenue and Government records as the absolute owner of the said land.
  06. यह कि पंक्ष एक पक्ष दो के पक्ष में और पक्ष दो के ब्यय पर सभी आवश्यक प्रक्रिया अपनाएगा जिसके अन्तर्गत सभी आवेदनों एवं/या भविष्य के हस्तांन्तरण से सम्बन्धित दस्तावेजों में हस्ताक्षर करेगा, जो अनुसूचित सम्पत्ति को पक्ष दो के नाम से स्थानीय अधिकरण, राजस्य तथा शासकीय अभिलेखों में बतौर स्वत्वचारी के रूप में दर्ज करने के लिये आवश्यक है।
- 07. THAT the First Party covenants with the Second Party that due to any defect in his title at any time hereafter if the Second Party is deprived of the whole or any part of the Schedule Property, the First Party shall hereby indemnify and compensate the Second Party by payment of the then prevailing price of the said property, with interest as on date, along with all costs of improvements made thereon.

07. यह कि पक्ष एक पक्ष दो को यह वचन देता है, कि अब के बाद किसी भी समय उसके अनुसूचित सम्पत्ति के उसके स्वत्य की किसी त्रृटि का बकाया, यदि कोई हो तो उसे अदा करने का वचन लेता है, तथा पक्ष एक समस्त हर्जाना और मुआवजा पक्ष दो को अदा करेगा जो उपरोक्त सम्पत्ति का उस समय की प्रचलित दर, समस्त ब्यथ य्याज सहित जो वृद्धि हुआ हो।

08. THAT upon execution of this sale deed the parties of the First Part have left their rights, claims or interests of any nature whatsoever over the Schedule Property or in any part thereof.

08. यह कि इस विकय पत्र के निष्पादन के बाद प्रथम भाग के पक्षकार अपना समस्त दावा हित जो अनुसूचित सम्पत्ति या उसके भाग पर था, को त्यागते है।

09. THAT the First Party declares that, there is no litigation in respect of the land and that, they have not entered in to any agreement of lease with any party in respect of the Schedule Property.

For When the Sun of Authorised Signal

उत्तर - बेनीमाधव की भूमि, दक्षिण - मानिकदास की भूमि, पूर्व - रेशमलाल की मूमि, पश्चिम- बेनीमाधव की

The land situated as irrigated, Matasi, No tree, and 01.50 Km. distance of village population. मूमि सिंचित, मटासी कोई वृक्ष नहीं, तथा ग्राम की आबादी से 01,50 कि0मी0 दूर स्थित है।

IN WITNESS where of the parties of the First party and the Second Party have put their hands and subscribed their signatures on the September, 16 day and 2008 year herein above written in the presence of the following witnesses.

गवाहों की उपस्थिति में एक एवं पक्ष दो आज दिनांक 16 माह सितम्बर 2008 को अपने स्वंग

के हस्ताक्षर कर अनुमोदित कर निष्पदित कर दिये :--

I Phuidas aged about 60 years, S/o Lt. Shri Sunderdas, caste Panika, R/o Amora, Thansii Akaltara, Distt. Janigir-Champa (C.G.), have received in the presence of witness, the sum of Rs. 24800/- (Twenty Four Thousand Eight Hunderd ) advance, and Rs. 100000/- (Rupess One Lac only) is hereby paid today 16.09.2008, by the Second Party to the First Party through cheque No. 846109 dated 16.09.2008 drawn on State Bank Of India, psyable at Akaltara, towards full and final payment of sale consideration of Rs. 124890/- (Rupees One Lac Twenty Four Thousand Eight Hundred only), as price of total sale consideration of this deed. Now we do not have any claim or objection the schedule property.

मैं फुलदास छप्र लगमग 80 वर्ष पिता स्व0 श्री सुन्दरदास, जाति पनिका साकिन अमोरा, तहसील अकलतरा जिला जॉजगीर यांपा (छ०ग०) इस विकय पत्र की समस्त विकय एशि मे से 24800/- रूपये ( चौबीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) अग्रिम एवं शेष विकय राशि 100000/- रूपये (एक लाख रूपये मात्र) आज दिनांक 16.09.2008 को चैक कमांक 846109 दिनांक 16.09.2008, भारतीय स्टेट बैंक अकलतरा के माध्यम से पूरा एवं अंतिम मुगतान समस्त विकय राशि 124800/- रूपये (एक लाख चौबीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) के रूप में गवाहों के समक्ष, प्राप्त कर लिया, हमारा अब हुस अनुसूचित सम्पत्ति में कोई दावा या

आपत्ति का अधिकार नही है।

VENDORS/FIRST PARTY Drafter (Rajkumer Balshwer,

Witnesses

1. Name	Fat	her's Name	Village
Colmi	न पास्	<u> </u>	पास Village हामोरा
2. Name	Fati	her's Name	Village - \
सरोज	माञ	न्सारका ए	THE Village STATES

- यह कि पक्ष एक यह घोषणा करता है, कि अनुसूचित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, 09. तथा वह अनुसूचित सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी अन्य पक्षकार के पक्ष में संविदा या पट्टा नहीं किया गया है।
- THAT the First Party has paid up to date all the dues i.e. revenue, agricultural assessment, taxes levied upon the Schedule Property hereby sold and conveyed and in the event any taxes, dues are remaining unpaid as on the date of this sale deed it shall be the exclusive responsibility of the First Party to clear the same including the penalty / interest in respect thereof.
- यह कि पक्ष एक आज तक का समस्त बकाया राजस्त, कृषि कर निर्धारण जो अनुसूचित सम्पत्ति पर था अदा कर दिया है, तथा विकय पत्र के निष्पादन के बाद अनुसूचित सम्पत्ति के विकय पत्र निष्पादन के पूर्व के समस्त कर जो इस विकय पत्र में उल्लेखित करना घूँट गया हो, को अदा करने का अतिरिक्त दायित्व भी पक्ष एक लेता है, जिसके अन्तर्गत दण्डात्मक राशि एवं ब्याज भी सम्मिलित है।
- 11. THAT the First Party covenants with the Second Party that the schedule property is not assigned land/SC/ST/Government land within the meaning of any Central/State/Local Laws and this transaction is not hit by or in contravention of any provision of any Law/Act/Rule/ Regulation of Central/State/Local or other authority/authorities, in particular any Land Ceiling Act now in force in the State.
- यह कि पक्ष एक पक्ष दो को यह विश्वास दिलाता है, कि अनुसूचित सम्पत्ति में किसी अन्य ब्यक्ति का कोई हिस्सा नहीं है/अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी ब्यक्ति/शासन को किसी केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत उपयोग के लिये नहीं दिया गया है, तथा हस्तान्तरण हेतु प्रतिबन्धित नहीं है, या किसी विधि/अधिनियम/नियम/ब्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय या अन्य अधिकरण के विरोधाभाषी नहीं हैं, दिशिष्ट रूप से अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम जो अब राज्य में लागू है।
- THAT it is hereby declared that there is no structure or house or trees, gardens, valuable stones, no machinery, no fish ponds in lands now being transferred.
- यह कि यह घोषित किया जाता है, कि अनुसचित सम्पत्ति में किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं किया गया है, न ही उक्त सम्पत्ति में कोई वृक्ष, बाग, मूल्यवान पत्थर, मशीन या मछली का कोई तालाब स्थित है जो हस्तान्तरण किया जा रहा हो।
- THAT the First Party further agrees to co-operate with the Second Party to take proper measurement/demarcation of the land covered by the sale deed and to makeup for losses if any consequent to such measurement.
- यह कि पक्ष एक पक्ष दो को अनुसूचित सम्पत्ति को परिमाप/सीमांकन में भविष्य में सहयोग प्रदान करने को सहमत है, तथा यह वचन देता है, कि यदि सीमांकन में पक्ष दो को कोई हानि होती है, तो उसे पक्ष एक पूरा करेगा।

## SCHEDULE OF PROPERTY/ सम्पत्ति की अनुसूची

All that Agricultural Land measuring an extent of Acres/Hectare 0.48/0.194 situated in Survey/ Khasra Nos. 1327/1, Amora Village, Akaltara Tahsil, Janjgir-Champa, District in Chhattiegarh State, and within the jurisdiction of Registrar/Sub-Registrar of Janjgir-Champa, Revenue District and bounded by:

जपरोक्त सभी भूमि ग्राम अमोरा तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, जो पंजीयक/उप-पंजीयक जांजगीर-चांपा, के राजस्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, जिसका खसरा/सर्वे नम्बर 1327/1 रकवा 0.48/0.194 एकड्/हेक्टेयर है, तथा जिसकी चौहद्धी निम्नानुसार है:-

North: Benimadhav's Land, South: Manikdae's Land, East: Reshamtel's Land, CONTRACTOR OF THE STATE OF COMPANY Benimadhav's Land.



स्टिसीटा प्रांत्रपरि स्वार्थ के स्वार्थ के प्राप्ति जानामा प्राप्ति के स्वार्थ के प्राप्ति के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स	
स्तिरीति अन्यस्य स्तिरीति अन्यस्य स्तिरीति स्तिरीति अन्यस्य स्तिरीति अन्यस्य स्तिरीति स्तिरीति अन्यस्य स्तिरीति स्तिरीत	
स्वति । अपनी ।	पात पुरुष प
स्तिर्देशीं अंतरपोर विद्या जाजान-स्वारा-८८ आहे आहा के प्रति के स्वर्थ अन्य के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य	ा) इत्यासिक इस (कोगी)
उद्देश ।  - त्रह्मीत अन्योद २ वर्ष २००८-२००९ वर्ष २००९ वर्ष २००८-२००९ वर्ष २००८-२००८ वर्ष २००८ वरम २००८ वर्ष २००८ वर्ष २००८ वर्ष २००८ वर्ष २००८ वर्ष २००८ वर्ष २	and the state of t
ंदर्भरी अंतर्यार र विद्या जांत्रपार अञ्चलक वर्ष २००८-२० वर्ष २००८-२० वर्ष ४०८-२० वर्ष ४०८-४० वर्ष ४० वर्ष ४० वर्ष ४०८-४० वर्ष ४० वर्ष ४० वर्ष ४० वर्	र्न्स गर्ने से हिंद दानांक्ष के स्थान
उद्धर्भः । स्टब्सेटन धारकोर २ व्यक्तिको व्यक्तिकवारा ५४ चार्थिको व्यक्तिकार ।	्रा विकास संभागे स्थापना के अपना विद्यार को के उपना विद्यार संभागे स्थापना के अपना विद्यार को के उपना विद्यार प्रधान के अपना की किया की की की
GA:	CS-6801 SEANIC A
644	•
	खसरा
कारका।	The second of the second secon

2012/AC 36 1465 15 16 17 18 19 20 कानं गीर ! जिश्लबन्दरे खर्वानी (आसार ज्यार) ्रा । व ः । १९५७ व स्थान क्रमील में एवं करी का व्यक्त १९५० पेटो है

4

### ARATION BY SELLER FIRST PARTY/विकेता पक्ष एक द्वारा की जाने वाली घोषणा

- That the schedule property does not come under Ceiling/Gift/Lease of government. यह कि अनुसूचित सम्पत्ति शासन से सिलिग/मूदान/पट्टे में प्राप्त नहीं की गयी है। 01.
- 01.
- 02.
- That the schedule property is not mortgaged to any other party. यह कि अनुसूचित सम्पन्ति किसी अन्य के पास पूर्व से बन्धक नहीं है। 02.
- 03.
- That the schedule of property is truly mentioned in the said deed. यह कि अनुसूचित सम्पत्ति के विवरण में सत्यता पूर्वक उल्लेख किया गया है। 03.
- 04. in this sale deed no fact suppressed as per Section 27 of Stamp Act.
- 04. इस विकय पत्र में मुद्रांक अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बाजार मूल्य को प्रभावित करने कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- 05. This sale deed does not breach section 165(6) of The C.G. Land Revenue Code 1959.
- 05. यह विकय पत्र धारा 165(6) छ0ग0 भू-राजस्व सहिता 1959 का उल्लंघन नहीं करता।

